

राजस्थान सरकार  
कायालिय उपखण्ड अधिकारी, दौसा,(दौसा)  
मिला - दौसा  
जाति प्रमाण - पत्र

क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.वा. / अ.व.आ.) /18100883520  
दिनांक: 02-05-2018  
आवेदक का आधार नम्बर : 913687407970  
आवेदक/परिवार के मुखिया का आवासान संख्या : 1406-1GLU-14251.

प्रमाणित किया जाता है कि सूनी पूनम वर्मा पुत्र/पुत्री श्री स्वर्गीय शंकर प्रसाद कान्हेड़ी  
गांव/नगर 69, शंकर प्रसाद, शिव मंदिर के पास, वार्ड न: - 23, नला मौहल्ला, दौसा जिला/डिवीज़न  
दौसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 17 REGAR (17 रोड) जाति/समुदाय का/की है जिसे  
निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (सभ यन्द हेतु) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शुद्धिया (संशोधन) आदेश 1956, बन्धु पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश यात्रा अधिनियम 1970, उत्तर प्रदीप्ति हेतु (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्ब व काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अडमान तथा निकावार हीष मामूल) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (टाटपा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (टाटपा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (तामालेंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (तामालेंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

सूनी पूनम वर्मा गांव/नगर 69, शंकर प्रसाद, शिव मंदिर के पास, वार्ड न: - 23, नला मौहल्ला, दौसा जिला / डिवीज़न दौसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट:

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीत विभाग की अधिसूचना सं.एफ. 21(37) एस.जे.ई./काम्यू.ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजात जिले के सम्बन्धित प्रदूत अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कायालिय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.rajasthan.gov.in](http://www.emitra.rajasthan.gov.in) पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 180104811776

उपखण्ड अधिकारी, दौसा,(दौसा)

Signature valid

Digitally signed by  
SANTOSH KUMAR GOYAL  
Date: 2018.05.02 15:07:26 +05:30  
Reason: Approved  
Location: Rajasthan